

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 42 / 2020

दायर दिनांक 18.08.2020

कंवर लाल उनवान रोडू
बनाम

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 22.09.2020

—:निर्णय:—

पतरावली पेश हुई जिसमें वकिल वादी प्रस्तुत होकर आदेशिका पर नोट प्रैस अंकित कर कोई कार्यवाही नहीं चाही | वकील वादी द्वारा पतरावली में कार्यवाई नहीं चाहने से इसी स्तर पर कार्यवाई ड्राप की जाती है। अत -पतरावली फैसल होकर नम्बर से कम है



(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

